संख्या: 282 /2023/ 3992 /चार-2023-59 (बजट)/2018

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2023

विषय: जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी के निर्माण कार्यों हेतु रू0 140.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 2138/सं0नि0-6(कबीर अकादमी) /2018-19-।। दिनांक 18.09.2023 के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु रू0 3033.47 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अब तक रू0 2741.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 140.75 लाख (रूपये एक करोड़ चालीस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-87/2018/1533/चार-2018-59 (बजट)/2018 दिनांक 13 जून, 2018, शासनादेश संख्या-92/2019/697/चार-2019-59 (बजट)/2018 दिनांक 26 मार्च, 2019, शासनादेश संख्या-150/2019/2607/चार-2019-59 (बजट)/2018 दिनांक 22 नवम्बर, 2019, शासनादेश संख्या-125/2020/915/चार-2020-59 (बजट)/2018 दिनांक 10 सितम्बर, 2020, शासनादेश संख्या-01/2021/1950/चार-2020-59 (बजट)/2018 दिनांक 01 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्या-119/2021/1101/चार-2021-59 (बजट)/2018 दिनांक 29 जून, 2021, शासनादेश संख्या-172/2021/1683/चार-2021-59 (वि0)/2018 दिनांक 25 अक्टूबर, 2021, शासनादेश संख्या- 141/ 2023/3027/चार-2022-59 (बजट) / 2018, दिनांक 23 मार्च, 2023 तथा शासनादेश संख्या- 142/2023/872/चार-2022-59 (बजट) / 2018, दिनांक 23 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें। अवशेष 5% धनराशि का भुगतान परियोजना के पूर्ण होने तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-44-संत कबीर अकादमी की स्थापना -24 वृहत् निर्माण कार्य मद से वहन किया जाएगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 282 /2023/ 3992 (1) /चार-2023-59 (बजट)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संतकबीरनगर, उ0प्र0।
3- निदेशक, संत कबीर अकादमी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरि काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।